जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(जन–सम्पर्क अनुभाग)
(प्रेस विज्ञप्ति)

विद्युत दुरुपयोग के मामलों की सुनवाई के लिए कमेटियों का गठन

निर्धारित प्रपत्र में 30 दिवस में करनी होगी अपील

जयपुर, 26 दिसम्बर। जयपुर विद्युत वितरण निगम में विद्युत अधिनियम–2003 के तहत विद्युत दुरुपयोग के मामलों की सुनवाई के लिए विभिन्न स्तरों पर कमेटियों का गठन किया गया है। जयपुर डिस्कॉम द्वारा पकड़े गए बिजली चोरी एवं दुरुपयोग के मामलों में की गई राशि के निर्धारण बाबत होने वाली आपत्तियों में निर्णय के लिए प्रसारण निगम के अधिकारियों से युक्त कमेटियों का गठन किया गया है। कमेटियों द्वारा दिए गए निर्णय की सुनवाई निगम द्वारा स्थापित जन समस्या निवारण फोरम में नही की जाएगी।

जयपुर विद्युत वितरण निगम के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री कुंजी लाल मीणा ने बताया कि विद्युत अधिनियम के तहत 3 लाख रुपए से अधिक के मामलों की सुनवाई कारपोरेट स्तर पर, एक लाख से अधिक एवं तीन लाख रुपए तक के मामलों को संभाग स्तर पर एवं वृत स्तर (जिला स्तर) पर एक लाख रुपए तक की राशि के मामलों की सुनवाई के लिए अलग–अलग कमेटियां गठित की गई है। उन्होंने बताया कि विद्युत दुरुपयोग के मामले में की गई राशि के निर्धारण बाबत सम्बन्धित व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस में राजस्थान राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र के साथ निर्धारित राशि का शुल्क जमा करवा कर सम्बन्धित कमेटी में अपील कर सकता है।

उन्होंने बताया कि कारपोरेट स्तर पर गठित कमेटी में राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम के सीएमडी अध्यक्ष होंगे जबकि राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के निदेशक (वित्त) एवं संभागीय मुख्य अभियन्ता (टीएण्डसी) सदस्य होंगे। कमेटी में जयपुर डिस्कॉम के मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य) नोडल अधिकारी के रुप में विद्युत दुरुपयोग के मामले प्रस्तुत करेंगे। इसी तरह निगम के जयपुर एवं कोटा संभाग के लिए गठित कमेटी के अध्यक्ष राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम के संभागीय मुख्य अभियन्ता (टीएण्डसी) जबकि राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम के वरिष्ठ लेखाधिकारी (टीएण्डसी) एवं अधीक्षण अभियन्ता (टीसीसी–प्रथम) सदस्य होंगे। कमेटी में संभागीय मुख्य अभियन्ता जयपुर एवं कोटा जोन नोडल अधिकारी के रुप में विद्युत दुरुपयोग के मामले प्रस्तुत करेंगे।

श्री मीणा ने बताया कि वृत स्तर पर जयपुर शहर के लिए राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम के अधीक्षण अभियन्ता (टीसीसी–प्रथम) अध्यक्ष होंगे जबकि राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम के लेखाधिकारी (टीसीसी–प्रथम) एवं अधिशाषी अभियन्ता (220केवी जीएसएस–वीकेआईए) सदस्य होंगे। इसी प्रकार जयपुर जिला वृत के लिए राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम के अधीक्षण अभियन्ता (टीसीसी–द्वितीय) अध्यक्ष होंगे जबकि राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम के लेखाधिकारी (टीसीसी–द्वितीय) एवं अधिशाषी अभियन्ता (220केवी जीएसएस–सांगानेर) सदस्य होंगे।

उन्होंने बताया कि दौसा वृत के लिए राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम के अधीक्षण अभियन्ता (टीसीसी–द्वितीय) अध्यक्ष होंगे जबकि राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम के लेखाधिकारी (टीसीसी–द्वितीय) एवं अधिशाषी अभियन्ता (220केवी जीएसएस–दौसा) सदस्य होंगे। इसी प्रकार अलवर वृत के लिए राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम के अधीक्षण अभियन्ता (टीसीसी–षष्टम) अध्यक्ष होंगे जबकि राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम के लेखाधिकारी (टीसीसी–षष्टम) एवं अधिशाषी अभियन्ता (220केवी जीएसएस–अलवर) सदस्य होंगे।

श्री मीणा ने बताया कि भरतपुर वृत के लिए राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम के अधीक्षण अभियन्ता (टीसीसी–षष्टम) अध्यक्ष होंगे जबकि राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम के लेखाधिकारी (टीसीसी–षष्टम) एवं अधिशाषी अभियन्ता (220केवी जीएसएस–भरतपुर) सदस्य होंगे। इसी प्रकार धौलपुर वृत के लिए राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम हिंडौन के अधीक्षण अभियन्ता (400केवी जीएसएस) अध्यक्ष होंगे जबकि राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम के लेखाधिकारी (आ.अं.–व्यय–III), जयपुर एवं अधिशाषी अभियन्ता (220केवी जीएसएस–धौलपुर) सदस्य होंगे।

उन्होंने बताया कि सवाईमाधोपुर व टोंक वृत के लिए राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम के अधीक्षण अभियन्ता (टीसीसी–प्रथम) अध्यक्ष होंगे जबकि राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम के लेखाधिकारी (टीसीसी–प्रथम) एवं अधिशाषी अभियन्ता (220केवी जीएसएस–सवाईमाधोपुर) सदस्य होंगे। इसी प्रकार कोटा व बूंदी वृत के लिए राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम कोटा के अधीक्षण अभियन्ता (टीसीसी–पंचम) अध्यक्ष होंगे जबकि राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम के लेखाधिकारी (टीसीसी–पंचम) एवं अधिशाषी अभियन्ता (220केवी जीएसएस–सकतपुरा कोटा) सदस्य होंगे।

श्री मीणा ने बताया कि बांरा व झालावाड़ वृत के लिए राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम कोटा के अधीक्षण अभियन्ता (टीसीसी–पंचम) अध्यक्ष होंगे जबकि राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम के लेखाधिकारी (टीसीसी–पंचम) एवं अधिशाषी अभियन्ता (220केवी जीएसएस–झालावाड़) सदस्य होंगे तथा करौली वृत के लिए राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम हिंडौन के अधीक्षण अभियन्ता (400केवी जीएसएस) अध्यक्ष होंगे जबकि राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम के लेखाधिकारी (आ.अं.–व्यय–III), जयपुर एवं अधिशाषी अभियन्ता (220केवी जीएसएस–हिंडौन) सदस्य होंगे।

उन्होंने बताया कि वृत स्तरीय कमेटी में विद्युत दुरुपयोग के मामलों को सम्बन्धित वृत के अधीक्षण अभियन्ता (पवस) नोडल अधिकारी के रुप में प्रस्तुत करेंगे।

———

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 379/2012